



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015/9 अग्रहायण, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 नवम्बर, 2015

नस्ति संख्या: रैव0बी.ए.(3)-3/2014-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 4 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (यूनिट) के गठन को निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं :-

1. निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमलाअध्यक्ष;
2. प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला सदस्य;
3. विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला सदस्य; और
4. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिमला सदस्य।

उपरोक्त सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (यूनिट) पूर्वोक्त नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतन्त्र संगठन के रूप में कार्य करेगी।

अर्जन करने वाले विभाग, सम्बद्ध सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (यूनिट) को लिपिक वर्गीय सहायता के रूप में कम से कम दो वरिष्ठ सहायक और एक वर्ग-IV कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। वह उक्त इकाई (यूनिट) को पर्याप्त लेखन सामग्री भी उपलब्ध करवाएंगे।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-Vol.II dated: 27/11/2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th November, 2015

File No. Rev.B.A(3)-3/2014-II.—In exercise of the powers conferred upon him under rule 4 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the constitution of the Social Impact Assessment Unit, as under.—

1. The Director, Himachal Pradesh Institute Chairperson of Public Administration, Shimla.
2. The Incharge, State Institute of Rural Member Development, HIPA, Shimla
3. Head, Department of Sociology and Social Work, Member HP University, Shimla.
4. Chief Scientific Officer, Department of Member Environment, Scientific & Technology, Shimla.

The aforesaid Social Impact Assessment Unit will act as an independent organisation for carrying out the purposes of the rules ibid.

The acquiring Departments shall provide at least two Senior Assistant as ministerial support and one class-IV employee to the Social Impact Assessment Unit concerned.

They shall also provide the adequate stationery to the said Unit.

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secy. (Revenue).